नरेश कुमार बनाम सरकार के सचिव, हरियाणा, शिक्षा विभाग, और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

समक्ष एम.एम. कुमार और एम.एम.एस. बेदी, माननीय न्यायमूर्ति

नरेश कुमार – याचिकाकर्ता

बनाम

सरकार के सचिव, हरियाणा, शिक्षा विभाग, और अन्य – उत्तरदाताओं

सी.डब्ल्यू.पी. न. 2004 का 15336

30 अगस्त 2006

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद- 226-हरियाणा मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2003 - अनुग्रह अनुकंपा नियुक्ति नीति दिनांक 8 मई, 1995 - याचिकाकर्ता के पिता की नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई - याचिकाकर्ता को अनुग्रह योजना 1995 के तहत क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की मंजूरी स्वीकृत की गई- 2003 के नियम लागू होने पर मंजूरी वापस ली गई, जो याचिकाकर्ता को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के कारण अयोग्य बना देता है– अगर सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक आदेश की सूचना दे दी जाती है तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह अंतिम आदेश नहीं था - 2003 के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है जिसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि वह सभी लंबित मामलों पर लागू होता हो - मंजूरी आदेश रद्द करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है - याचिका स्वीकार की गई - याचिकाकर्ता को क्लर्क पद पर नियुक्ति का हकदार माना जाता है।

यह अभिनिर्णित किया गया, कि जब 2003 के नियम लागू हुए तो याचिकाकर्ता का मामला दिनाक 28 फरवरी 2003/4 मार्च 2003 को लंबित नहीं माना जा सकता। 2 जनवरी, 2003 के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विधिवत विचार किया गया था और शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी । याचिकाकर्ता की क्लर्क पद पर जो नियुक्ति हुई है, उसे राज्य चयन आयोग, हरियाणा/निदेशक रोजगार, हरियाणा के दायरे से बाहर माना जाता है। आदेश के अनुसार

नरेश कुमार बनाम सरकार के सचिव, हरियाणा, शिक्षा विभाग, और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

कॉलम 10 में हरियाणा सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 1991 के संदर्भ में एक खंड डाला गया था कि रिक्ति को, उस सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य द्वारा भरा जाना चाहिए, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। प्रतिवादी संख्या '2' द्वारा प्राप्तकर्ता को केवल यह निर्देश दिया गया था कि नियुक्ति के समय उसकी शैक्षिक योग्यता की जांच की जाएगी। पृष्ठांकन के क्रम संख्या 1 में अधीक्षक से अनुरोध किया गया है कि लिपिक के जिस रिक्त पद पर, याचिकाकर्ता को लिपिक नियुक्त किया गया है, उसकी पेंशन शाखा में नियुक्ति पत्र की प्रति भेजकर सूचित किया जाए। उपरोक्त पत्र की एक प्रति याचिकाकर्ता की मां, सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा, निदेशक, राज्य रोजगार, हरियाणा और मुख्य सचिव, हरियाणा को भेजी गई थी। हम यह समझने में विफल हैं कि एक बार आदेश संप्रेषित हो जाने के बाद, ऐसे आदेश को याचिकाकर्ता के मामले को अंतिम रूप देने के रूप में कैसे नहीं माना जा रहा। संविधान के अनुच्छेद 166 में ये कहा गया है कि एक संचार एक सरकारी आदेश का चरित्र ग्रहण तब करेगा जब यह दो आवश्यकताओं को पूरा किया जाये - (ए) आदेश राज्यपाल के नाम से व्यक्त किया हो और (बी) यह संबंधित व्यक्ति को सूचित किया गया हो। यदि कोई आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है, जो इस मामले में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा है, से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह एक आदेश नहीं था या याचिकाकर्ता का मामला 2 जनवरी, 2003 के बाद लंबित था। किसी भी मामले में, 2003 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसका यह अर्थ लगाया जाए कि ये नियम सभी लंबित मामलों पर लागू होंगे। 25 मार्च, 2004 और 20 जुलाई, 2004 के आक्षेपित आदेशों ने प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का घोर उल्लंघन किया है क्योंकि उपरोक्त आदेश को रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता या उसकी मां को कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था। यह मानना सामान्य बात है कि जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करता है, उसे केवल इसी आधार पर रद्द किया जा सकता है।

(पैरा 7 और 8)

नरेश कुमार बनाम सरकार के सचिव, हरियाणा, शिक्षा विभाग, और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

ओ.पी.शारदा- याचिकाकर्ता की ओर से वकील।

हरीश राठी- वरिष्ठ डीएजी, हरियाणा- उत्तरदाताओं की ओर से वकील।

<u>निर्णय</u>

एम. एम. कुमार, माननीय न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की यह याचिका, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा-प्रतिवादी संख्या-२ द्वारा पारित 25 मार्च, 2004 (पी -7) और 20 जुलाई, 2004 (पी - 11) के आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना करती है। आदेश दिनांक 25 मार्च, 2004 (पी-7) द्वारा 'श्री नरेश कुमार की नियुक्ति', जो नियुक्ति पत्र/स्वीकृति पत्र दिनांक 2 जनवरी, 2003 (पी-6) द्वारा, श्री चंद्रभान, हिंदी शिक्षक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, संडील (जींद) की मृत्यु के कारण, बतौर क्लर्क हुए थी, उसको रद्द कर दिया गया है।पत्र की एक प्रति याचिकाकर्ता की मां, अर्थात् श्रीमती शीला देवी, मृत कर्मचारी श्री चंद्रभान की पत्नी को भेजी गई थी। दिनांक 20 जुलाई, 2004 (पी-11) का आदेश निदेशक प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा फिर से हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा सहायता नियम, 2003 (संक्षिप्तता के लिए '2003 नियम') पर निर्भर करते हुए रद्दीकरण को उचित ठहराने के लिए पारित किया गया था।

(2) याचिका के निस्तारण के लिए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पिता - चंद्रभान प्रतिवादी विभाग में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। 9 अक्टूबर, 2001 को नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 15 नवंबर, 2001 को याचिकाकर्ता की मां ने अनुग्रह नियुक्ति नीति दिनांक 8 मई, 1995 (पी-4) के तहत शिक्षा विभाग में क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उत्तरदाताओं को एक आवेदन भेजा था। याचिकाकर्ता ने सभी आवश्यक विवरण दिया जैसे की उनका जन्म 11 मई, 1970 को हुआ था और उनके पास पर्याप्त योग्यता थी। 'याचिकाकर्ता स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा से प्रथम श्रेणी (मार्च, 1986) में मैट्रिक है, और उसने आई.टी.आई., कैथल (जुलाई, 1992) से एक वर्ष का हिंदी आशुलिपि पाठ्यक्रम और साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में प्रभाकर की योग्यता प्राप्त की है। प्रभाग (मई,

1996)। उपरोक्त प्रमाणपत्रों की सत्य प्रतियाँ अनुलग्नक पी-1 से पी-3 के रूप में संलग्न की गई थी। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा ने 2 जनवरी, 2003 के आदेश द्वारा क्लर्क के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी और 8 मई, 1995 की अनुग्रह अनुकंपा नियुक्ति नीति पर भरोसा किया गया। उपरोक्त आदेश निम्नानुसार ये है कि :

“निहित शक्तियों के अनुसार, सरकारी पत्र संख्या 16/5/95-जीएस-द्वितीय, दिनांक 8 मई, 1995 के अनुसार, स्वर्गीय श्री चंदरभान, हिंदी के शिक्षक, के पुत्र नरेश कुमार को हरियाणा के शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में, कर्मचारी चयन आयोग/निदेशक रोजगार, हरियाणा के संदर्भ के बिना, क्लर्क के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी जाती है। उन्हें जिस पद पर नियुक्त किया गया है उसकी जानकारी रोजगार विभाग, हरियाणा को भेजी गई है। कॉलम 10 में निम्नलिखित लिखा जाना चाहिए:

'हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 3442 और जीएस-1171/19269, दिनांक 13 जुलाई, 1971 के अनुसार रिक्ति किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा भारी जानी चाहिए, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी, जैसे कि रिक्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।"

आवेदक सामान्य वर्ग से संबंध रखता है। शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की गई है। कृपया नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच की जाए।"

(3) यह उल्लेख करना उचित होगा कि पृष्ठांकन के क्रमांक 2 के अवलोकन से पता चलता है कि आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता की मां को भेजी गई थी। यह उल्लेख करना उचित होगा कि 15 जनवरी, 2003 को, याचिकाकर्ता के समान स्थिति वाले नौ अन्य व्यक्तियों को कार्यवाहक क्लर्क के रूप में नियुक्ति दी गई थी, जैसा कि आदेश परिशिष्ट पी-9 के अवलोकन से स्पष्ट है। ये ध्यान रखने योग्य है कि क्रम संख्या 8 पर, स्वर्गीय श्री राम पाल के पुत्र धर्मवीर, भी नियुक्ति की तिथि पर 25 वर्ष से अधिक आयु का था। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 25 मार्च, 2004 (पी-7) के आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता के पक्ष में नियुक्ति की मंजूरीदी गई थी, को 8 मई, 1995 की एक्सग्रेशिया योजना के तहत, रद्द किया गया था। बाद में 20 जुलाई, 2004 को (पी-11) एक पूरक आदेश भी पारित किया गया था। दोनों आदेशों में, 2003 के नियमों पर निर्भर

किया गया है जो 4 मार्च, 2003 से लागू हुए थे। यह देखा गया है कि नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका था और नियुक्ति पाने के लिए पात्र नहीं था। याचिकाकर्ता को केवल 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए विकल्प चुनने के लिए कहा गया था। व्यथित होकर उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(4) जब मामला विचार के लिए आया, तो एक डिवीजन बेंच ने 30 सितंबर, 2004 को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया। इसके बाद, जवाब दाखिल करने के लिए कई स्थगन प्राप्त किए गए। 25 मई, 2006 को एक आखिरी मौका इस शर्त के साथ दिया गया था कि लिखित बयान 10 जुलाई, 2006 को या उससे पहले याचिकाकर्ता के वकील को एक प्रति के साथ दाखिल किया जाए और मामले की सुनवाई 17 जुलाई 2006, को तय की गई थी। यह आगे स्पष्ट किया गया कि यदि निर्दिष्ट तिथि तक कोई लिखित बयान दायर नहीं किए गए तो मामले मई बिना किसी लिखित बयान के बहस सुनी जाएगी। हमने फिर भी सख़्ती ना दिखाते हुए 17 जुलाई, 2006 को प्रतिवादियों के वकील को एक और स्थगन दिया और मामले की सुनवाई को आज के लिए तय किया। आज भी, कोई लिखित बयान दायर नहीं किए गए और पहले से पारित आदेशों के अनुसार बिना किसी लिखित बयान के दलीलें सुनी गई।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री ओ.पी.शारदा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के मामले को 4 मार्च, 2003 से लंबित नहीं माना जा सकता, जब 2003 के नियम लागू किए गए, क्योंकि मंजूरी पत्र पहले ही 2 जनवरी, 2003 को जारी किया जा चुका था जनवरी, 2003 और याचिकाकर्ता को उसके प्रमाणपत्रों आदि की जाँच करके क्लर्क के रूप में सेवा में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए केवल मंत्रिस्तरीय कार्य का कम रह गया था। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि 2003 के नियम याचिकाकर्ता के मामले पर साधारण रूप से लागू नहीं होंगे क्योकि याचिकाकर्ता को पहले ही क्लर्क के रूप में नियुक्ति दी जा चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि नियुक्ति आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2003 को रद्द करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और आक्षेपित आदेश दिनांक 25 मार्च, 2004 और 20 जुलाई, 2004 (पी-7 और पी-11)को याचिकाकर्ता या उसकी मां को नोटिस दिये बिना पारित कर दिया गया था। विद्वान

वकील द्वारा यह कथन आया कि एक बार जब कोई अधिकार याचिकाकर्ता में निहित हो जाता है, तो उसे याचिकाकर्ता को अवसर दिए बिना छीना नहीं जा सकता। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि उत्तरदाताओं द्वारा उल्लिखित अधिक आयु का आधार बेतुका और मनमाना है क्योंकि एक धर्मवीर, पुत्र स्वर्गीय श्री राम के पक्ष में जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2003 (पी -9) द्वारा यह पता चलता है कि धर्मवीर की उम्र भी अधिक थी। इसलिए, याचिकाकर्ता के मामले को शत्रुतापूर्ण भेदभाव के लिए नहीं चुना जा सकता और वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

(6) श्री हरीश राठी, विद्वान राज्य वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता का यह कहना गलत है कि 2 जनवरी, 2003 के पत्र (पी-6) को नियुक्ति पत्र माना जा सकता है। उस आधार पर यह तर्क दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता का मामला 2003 के नियमों के तहत लंबित है। इसलिए, याचिकाकर्ता का मामला 2003 तक लंबित माना जाएगा क्योंकि 28 फरवरी, 2003 तक, याचिकाकर्ता को कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था, जब 2003 के नियम लागू हुए थे। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि नियुक्ति पत्र वह है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति उस पद पर शामिल होने का हकदार होता है जिसके लिए इसे जारी किया जाता है और मंजरी देना नियुक्ति पत्र के समान नहीं माना जा सकता। हालाँकि, बेंच द्वारा पूछे गए सवाल पर, विद्वान वकील इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि क्या याचिकाकर्ता को दिनांक 2 जनवरी, 2003 (पी -6) के पत्र को रद्द करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था, जिसके तहत 25 मार्च, 2004 (पी-7) और 20 जुलाई, 2004 (पी-11) के आदेश रद्द किए गए।

(7) विद्वान वकीलों के पक्षों के को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि यह याचिका स्वीकार की जानी चाहिए और याचिकाकर्ता के मामले को 28 फरवरी, 2003/4 मार्च, 2003 को लंबित नहीं माना जा सकता, जब 2003 के नियम लागू किए गए थे। दिनांक 2 जनवरी, 2003 (पी-6 सुप्रा) के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विधिवत विचार किया गया था और शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी। याचिकाकर्ता के जिस क्लर्क के पद पर नियुक्ति हुई है, उसे कर्मचारी चयन

आयोग, हरियाणा/निदेशक रोजगार, हरियाणा के दायरे से बाहर माना जाता है। आदेश के अनुसार कॉलम 10 में हरियाणा सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 1971 के संदर्भ में एक खंड डाला गया था कि रिक्ति को उस सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य द्वारा भरा जाना चाहिय जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्राप्तकर्ता को केवल इतना निर्देशित किया गया था कि नियुक्ति के समय उसकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। पृष्ठांकन के क्रम संख्या 1 में अधीक्षक से अनुरोध किया गया है कि लिपिक के जिस रिक्त पद पर याचिकाकर्ता को लिपिक नियुक्त किया गया है, उसे पेंशन शाखा में, नियुक्ति पत्र की प्रति भेजकर, सूचित किया जाए। उपरोक्त पत्र की एक प्रति याचिकाकर्ता की मां, सचिव कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा, निदेशक राज्य रोजगार, हरियाणा और मुख्य सचिव, हरियाणा को भेजी गई थी। हम यह समझने में विफल हैं कि एक बार आदेश संप्रेषित हो जाने के बाद, ऐसे आदेश को याचिकाकर्ता के मामले को अंतिम रूप देने के रूप में कैसे नहीं माना जा । संविधान के अनुच्छेद 166 में कहा गया है कि एक संचार एक सरकारी आदेश का चरित्र तब ग्रहण करेगा जब यह दो आवश्यकताओं को पूरा करता है - अर्थात (ए) आदेश राज्यपाल के नाम पर व्यक्त किया जाता है और (बी) यह संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत निर्धारित सिद्धांतों पर माननीय उच्चतम न्यायालय **बच्छित्तर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] द्वारा विचार किया गया। हालाँकि, वे सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्य पर सख्ती से लागू नहीं होते हैं क्योंकि इस मामले में आदेश सरकार द्वारा पारित नहीं किया गया है, फिर भी सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि यदि एक आदेश एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है, जो इस मामले में है निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा (प्रतिवादी संख्या 2) हैं, तो यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह कोई आदेश नहीं था या याचिकाकर्ता का मामला 2 जनवरी, 2003 (पी-6) के बाद लंबित था। किसी भी स्थिति में, 2003 के नियमों में कोई

---

[1] ए.आई.आर 1963 एस.सी. 395.

प्रावधान नहीं है जिसका अर्थ यह लगाया जा सके कि ये नियम सभी लंबित मामलों पर लागू होंगे।

(8) हमारा यह भी मानना है कि दिनांक 25 मार्च, 2004 (पी-7) और 20 जुलाई, 2004 (पी-11) के आक्षेपित आदेशों ने प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का घोर उल्लंघन किया है क्योंकि उपरोक्त आदेश को रद्द करने से पहले कोई नोटिस याचिकाकर्ता या उसकी मां को नहीं दिया गया था। यह मानना सामान्य बात है कि जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करता है, उसे केवल इसी आधार पर रद्द किया जा सकता है। बार-बार स्थगन दिए जाने के बावजूद भी, उत्तरदाता लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहे हैं और राज्य के वकील इस बात पर विवाद नहीं कर सके कि क्या कभी कोई नोटिस जारी किया गया था। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि, इस संबंध में याचिका में दिए गए कथनों को स्वीकृत माना जाएगा।

(9) उपरोक्त कारणों को ध्यान मई रखते हुए, यह याचिका सफल मानी जाती है। दिनांक 25 मार्च, 2004 (पी-7) और 20 जुलाई, 2004 (पी-11) के आदेशों को रद्द किया जाता है। 2 जनवरी, 2003 का आदेश लागू माना जाता है और तदनुसार, याचिकाकर्ता 2 जनवरी, 2003 (वी-6). के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग, हरियाणा के अधीनस्थ कार्यालय में क्लर्क के पद पर नियुक्त होने का हकदार हो गया है।

(10) हम आगे यह निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को शामिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर उठाए जाएं। याचिकाकर्ता को 5,000 रुपये अपनी लागत के रूप में प्रदान किए जाते है।

नरेश कुमार बनाम सरकार के सचिव, हरियाणा, शिक्षा विभाग, और अन्य

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनमोल कक्कड़
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा